

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 134 / 2020


प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
नितेश पारख पुत्र लालचंद जाति जैन पारख निवासी हाईकोट कोलानी, सतानाडा जोधपुर।		1-- भारत सघ जरिये सचिव, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली। 2-- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये निदेशक, जी-5-6, द्वारका सेक्टर 10, नई दिल्ली। 3-- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, जोधपुर 148, उम्मेद हेरिटेज जोधपुर। 4-- सक्षम प्राधिकार (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5), राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध अवाप्ति पंचाट दिनांक
12.03.2019

उपस्थिति :-

दिनांक : 05.07..2023

1. श्री दीपक बोड़ा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2. श्री हिमांशु सोलंकी अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष 1 से 3)
3. अप्रार्थीपक्ष-4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक: NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि जोधपुर जिले में जोधपुर रिंग रोड किमी 0.000 से किमी 74.619 तक (डांगियावास-केरु-नागोर रोड सेक्शन-1) सड़क मार्ग के निर्माण हेतु निजी/राजकीय भूमि अवाप्ति हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा ग्राम चौपारानी, नारवा खींचीयान, सांगरिया, बड़ली, बासनी बेदा, बासनी करवड़, बासनी लांछा, दर्ईजर, डांगियावास, डोलिया, जाक्षड़ों की ढाणी, झालामण्ड, करबड़ एवं माणकलाव की खातेदारी एवं सरकारी भूमि अर्जन करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 एवं 3डी की अधिसूचना दिनांक 07.12.2018 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आमंत्रित किये गये जिसमें प्रार्थीपक्ष की ग्राम डोलिया तहसील व जिला जोधपुर स्थित भूमि ख.नं. 73/1/1 रकबा 2.55 बीघा भूमि में से 1.17 बीघा (0.2927 हेक्टर) भी सम्मिलित है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति प्रक्रिया के अवाप्त की गई भूमि की वजह से अब प्रार्थी के पास उसके हक व हिस्से में शेष भूमि एक छोटे से तिकाने भूखण्ड के रूप में बची है व भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्त की गई भूमि सड़क निर्माण के लिए नहीं कर रेस्ट एरिया हेतु अवाप्त की है व राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पश्चिम दिशा में स्थित है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही से अब प्रार्थीपक्ष को अपने खेत में जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अंतिम अवॉर्ड दिनांक 12.03.2019 को पारित किया गया। प्रार्थना में यह भी बतलाया कि प्रार्थीपक्ष द्वारा अप्रार्थीगण के समक्ष एक प्रस्ताव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विवादित अवाप्ति भूमि में से 100 x 260 फीट में रास्ता प्रार्थी के हक में छोड़ने पर भूमि की अवॉर्ड राशि संशोधित करने पर कोई आपत्ति नहीं होने हेतु आग्रह किया गया, परन्तु उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई संतुष्टी भरा जवाब नहीं दिया गया तथा रास्ता नहीं देने का प्रस्ताव दिनांक 19.03.2019 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी की शेष बची भूमि रकबा 14 बीघा भूमि को अवाप्त कर वाजारु किमत के अनुसार मुआवजा देने, शेष बची भूमि रकबा 14 बीघा को विक्रय करने में असमर्थता होने के कारण व्यवसायिक आय में होने वाले


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर




नुकशान के बदले मुआवजा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने तथा आलौच्य अवॉर्ड दिनांक 12.03.2019 में बढोतरी किए जाने वाली रकम पर प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 से तावसूली 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाने की इस्तदुआ की गई।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (134/2020) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु सोलंकी उपस्थित हुए तथा वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीपक्ष 1 से 3 की ओर से दिनांक 24.02.2021 को प्रारम्भिक आप्तियां मय जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी-4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीपक्ष 1 से 3 की ओर से दिनांक 24.02.2021 को जबाब पेश हुआ जो रिकॉर्ड पर लिया गया।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपति में बतलाया कि अप्रार्थीगण की खसरा सं० 73/1/1 एवं खसरा सं० 72 में रकबा 100 X 260 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध करवाने एवं राजस्व अभिलेख में इसी अनुरूप आवश्यक इंड्राज करवाने की इस्तदुआ की गई जो पूर्णरूप से निराधार एवं निरर्थक है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर रिंग रोड (0.000 किमी से 74.819 किमी. डांगियावास-केरू-नागौर रोड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए एक अधिसूचना धारा 3-क, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई तथा धारा 3-ग के तहत हितबद्ध पक्षकारों से आप्तियां आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना में प्रार्थी की मूल खसरा नं. 73/1/1 में स्थित भूमियां अवाप्ति के अधीन सामिल की गई तथा प्राप्त आप्तियों का निस्तारण करते हुए धारा 3-घ की अधिसूचना दिनांक 07.12.2018 को जारी करते हुए खसरा नम्बर 73/1/1 में प्रार्थी की भूमियां अवाप्त किये जाने की घोषणा की गई, तत्पश्चात् अंतिम अवॉर्ड दिनांक 12.03.2019 को जारी किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेक न्यायिक दृष्टांशों के माध्यम से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 स्वयं एक पूर्ण विधि संहिता है जिसमें आवश्यक प्रक्रियात्मक प्रावधान दिए हैं तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली अवाप्ति की कार्यवाही किसी भी न्यायालय में चुनौति देने योग्य नहीं है एवं व्यथित पक्षकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही अवाप्ति के संबंध में कार्यवाही कर सकता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आज्ञापक प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सर्वथा आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आपत्ति में यह भी बतलाया कि प्रार्थी की भूमियां अवाप्त होकर भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग (सडक के रूप में) राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है। सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक एकलपीठ सिविल रिट




कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

याचिका सं० 7879/2019 (सुशीला कांकरिया एवं नितेश पारख बनाम भारत संघ एवं अन्य) पूर्व में दायर हो चुकी है, इस प्रकार निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्तसुदा भूमि में से उपर्युक्त रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध कराने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है अतः विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समान पक्षकारों में समान विषयवस्तु के संबंध में यदि किसी सक्षम न्यायालय में उन्हीं समान तथ्यों एवं अनुतोषों की मांग का प्रकरण लंबित है तो उनके द्वारा पुनः उसी प्रकृति का नवीन प्रकरण पूर्ववर्ती प्रकरण के लंबित होने के दौरान किया जाना निषिद्ध है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व न्यायालय को राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि के संबंध में प्रकरण सुनने का अधिकार ही नहीं है। वर्तमान में खसरा नम्बर 72, 72/3, 72/4, 72/5, 73/1/1 के खातेदारों द्वारा समस्त खसरों को सम्मिलित करते हुए एक ही चारदीवारी बना रखी है जिसमें उक्त वर्णित खसरों में आने जाने का रास्ता व एक गेट भी लगा रखा है जिसके जरिये सभी खातेदार पूर्व व वर्तमान में अपनी भूमि पर आते-जाते हैं।

जबाब में प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या-1, 3, 4, 5, 6 व 7 में वर्णित कथनों को मिथ्या होने से अस्वीकार किया गया। बिन्दु सं०-8 के अनुसार प्रार्थी द्वारा सुशीला कांकरिया के साथ मिलकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका संख्या 7879/2019 सुशीला कांकरिया एवं नितेश पारख बनाम भारत संघ एवं अन्य पूर्व में दायर की जा चुकी है उसमें अप्रार्थीगण द्वारा जबाब भी दिया जा चुका है तथा वर्तमान में लंबित होना बताया गया। प्रार्थना पत्र के पद सं० 10, 12,13, में वर्णित कथन झूठा, गलत मिथ्या, कपोल कल्पित व मनगढंत होने से अस्वीकार किये गये।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई :-

1. दस्तावेज की प्रमाणित प्रति बाबत् भूमि अवाप्ति का अवॉर्ड दिनांक 12.03.2019 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित किया गया।
2. दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् विक्रय विलेख दिनांक 29.01.2008 बहक नितेश पारख पुत्र लालचंद।
3. दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् नामान्तकरण सं० 269 ग्राम डोलिया दिनांक 04.02. 2008


डॉक्टर एवं जिला माजस्ट्रेट
जोधपुर



4. दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् जगावंदी ग्राम डोलिया संवत् 2061-2064 खाता सं0 35
5. दस्तावेज की प्रमाणित प्रति बाबत् नक्शा लट्ठा ट्रेस ग्राम डोलिया।
6. दस्तावेज की मूल प्रति बाबत् तहसीलदार जोधपुर का पत्रांक/राजस्व/2020/853 दिनांक 06.07.2020 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को लिखा गया।
7. दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् नजरी नक्शा
8. दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् आवश्यक सूचना दिनांक 09.08.2019 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी की गई।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज पेश हुए।

- 1- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) द्वारा पत्रांक 41 दिनांक 12.03.2019 परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 188 उम्मेद हेरिटेज, जोधपुर को लिखा गया।
- 2- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् भूमि अवाप्ति का अवॉर्ड दिनांक 12.03.2019 जो सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित किया गया।
- 3- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् जगावंदी ग्राम डोलिया संवत् 2061-2064 खाता सं0 92
- 4- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् नक्शा लट्ठा ट्रेस ग्राम डोलिया।
- 5- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् तहसीलदार जोधपुर का पत्रांक / राजस्व / 2020 / 853 दिनांक 06.07.2020 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को लिखा गया।
- 6- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् नजरी नक्शा।
- 7- दस्तावेज की फोटो प्रति बाबत् कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 26.09.2018

दिनांक 06.06.2022 को प्रार्थीपक्ष की ओर से एवं अप्रार्थीपक्ष-2, 3 की ओर से दिनांक 13.09.22 को लिखित बहस प्रस्तुत हुई।



(Signature)
फरिदखान एवं जिला मजिस्ट्रेट
 जोधपुर

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस में बतलाया प्रार्थीपक्ष की खातेदारी, कब्जा व काश्तसुदा भूमि ख.नं. 73/1/1 रकबा 2.5 बीघा गांव डोलिया तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है तथा भूमि के पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु प्रार्थी की कुल भूमि में से 1 बीघा 17 बिस्वा (0.2979 हेक्टर) को अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति प्रक्रिया अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पक्ष में 86,00,000/- रुपये मुआवजा राशि देने का पंचाट जारी किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मुआवजा पंचाट को चुनौति इस आधार पर भी दी गई है कि प्रार्थी की जो भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्त की गई है व राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क निर्माण के लिए ना की जाकर अपितु रेस्ट एरिया हेतु अवाप्त की है व उक्त भूमि नक्शा अनुसार प्रार्थी की है। प्रार्थी के खेत के पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग ने अवाप्त व सड़क निर्माण के अलावा रेस्ट एरिया के लिए भूमि अवाप्त करने के कारण प्रार्थी के खाते की भूमि में जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते प्रार्थी के पास उनकी बची हुई भूमि पर जाने हेतु कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, प्रार्थी की नीजि सम्पत्ति का उपयोग करने का सुविधा का अधिकार नहीं रहेगा। बहस में आगे बतलाया कि दिनांक 12.03.2019 को विवादित पंचाट पारित किये जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण के समक्ष अपनी समस्याओं को दर्शाते हुए अनेक प्रस्ताव, प्रार्थना एवं ज्ञापन दिये गये तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से विवादित अवाप्ति भूमि में से 100 X 260 फीट चौड़ाई में रास्ता प्रार्थी के हक में छोड़ा जावे तथा ऐसा करने पर प्रार्थी को दिये जाने वाले मुआवजा राशि में संशोधन कर दी जावे। दिनांक 19.03.2020 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उपरोक्त अवाप्तसुदा भूमि में से कोई रास्ता प्रार्थी को नहीं दिया जायेगा। प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि दिनांक 06.07.2020 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा मय जांच रिपोर्ट जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रेषित किया गया, उसके अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा जो भूमि अवाप्त की गई है उसकी वजह से प्रार्थी की शेष बची हुई खातेदारी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं रहता है, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए चाहा गया अनुतोष प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित एवं न्यायहित में है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक एकलपीठ सिविल रिट याचिका सं० 7879/2019 सुशीला कांकरिया व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी की शेष बची भूमि निरर्थक होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त की जानी आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी के लिए अपनी शेष बची कृषि भूमि ख.नं. 73/1/1 का उपयोग एवं उपभोग संभव ही नहीं रहा है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा दिनांक 03.2019 को पंचाट पारित किया गया, उसमें मुआवजा निर्धारण करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग अधि., 1956 की धारा 3(जी) (7) में वर्णित प्रावधानों की पूर्णरूप से अवहेलना की



[Handwritten Signature]
कलेक्टर एवं जिला मा.प्र.स्टूट
जोधपुर

गई है जिसके तहत प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित करते समय उन खातेदारों की उस भूमि का भी मुआवजा निर्धारित कर दिया जाना था जो भूमि अवाप्ति के फलस्वरूप कब्जा लिये जाने के कारण टुकड़ों में अवशेष रह गई है। प्रार्थी की शेष जमीन एक त्रिकोण भाग में बची है जिस पर अपने जाने का भी रास्ता प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थी की शेष भूमि जो कि आवासीय एवं वाणिज्यक रूप में संपरिवर्तित की जानी है जिसका बाजार मूल्य सूक्ष्मता एवं तिकाने आकर का होने के कारण शून्य हो गया है। बहस के अन्त में प्रार्थी की शेष बची भूमि रकबा 18 बिस्वा भूमि को अवाप्त कर बाजार कीमत के अनुसार मुआवजा देने, शेष बची भूमि रकबा 18 बिस्वा को विक्रय करने में असमर्थता होने के कारण व्यवसायिक आय में होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने तथा आलौच्य अर्वाँर्ड दिनांक 12.03.2019 में बढ़ोतरी किए जाने वाली रकम पर प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 से तावसूली 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाने की इस्तदुआ की गई।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस में बतलाया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र में कथन है कि उसकी खातेदारी की कब्जा व काश्तसुदा भूमि ख.नं. 73/1/1 रकबा 2.5 बीघा भूमि गांव डोलिया तहसील व जिला जोधपुर के पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु प्रार्थी की कुल भूमि में से 1 बीघा 17 बिस्वा (0.2979 हेक्टर) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर रिंग रोड़ (0.000 किमी से 74.619 किमी डांगियावास-केरू-नागौर रोड़) तक के राजमार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए धारा 3क, राष्ट्रीय राजमार्ग अधि., 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 जारी करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गई। इस अधिसूचना में प्रार्थी की मूल खसरा नम्बर 73/1/1 में स्थित भूमियां भी अवाप्ति के अधीन सम्मिलित की गई तथा आपत्तियों का निस्तारण करते हुए धारा 4घ के तहत दिनांक 07.12.2018 को जारी अधिसूचना का प्रकाशन किया गया जिसमें प्रार्थी की ख.नं. 73/1/1 में स्थित भूमि अवाप्त किए जाने की घोषणा की गई।

बहस में यह भी कहा कि प्रार्थी की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण विस्तारीकरण परिचलन के उपयोग हेतु अवाप्ति प्रक्रिया में सम्मिलित करने की अपेक्षा से केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर रिंग रोड़ (0.000 किमी से 74.619 किमी डांगियावास-केरू-नागौर रोड़) तक के राजमार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए ख.नं. 72, 72/5 एवं 73/1/1 में स्थित प्रार्थी की भूमियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त करते हुए अंतिम अर्वाँर्ड दिनांक 12.03.2019 को पारित किया तथा वर्तमान में अवाप्तसुदा भूमि भारत सरकार के नाम दर्ज होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्थित है। बहस में यह भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा



कलेक्टर एवं जिला म. मस्ट्रट
जोधपुर

अपने अनेक न्यायिक दृष्टांशों के माध्यम से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 स्वयं एक पूर्ण विधि संहिता है जिसमें आवश्यक प्रक्रियात्मक प्रावधान दिए हैं तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली अवाप्ति की कार्यवाही किसी भी न्यायालय में चुनौति देने योग्य नहीं है एवं व्यथित पक्षकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही अवाप्ति के संबंध में कार्यवाही कर सकता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आज्ञापक प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सर्वथा आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आपत्ति में यह भी बतलाया कि प्रार्थी की भूमियां अवाप्त होकर भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क के रूप में) राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है अतः प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक एकलपीठ सिविल रिट याचिका सं० 7879/2019 (सुशीला कांकरिया एवं नितेश पारख बनाम भारत संघ एवं अन्य) पूर्व में दायर हो चुकी है, इस प्रकार निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्तसुदा भूमि में से उपर्युक्त रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध कराने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है अतः विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समान पक्षकारों में समान विषयवस्तु के संबंध में यदि किसी सक्षम न्यायालय में उन्हीं समान तथ्यों एवं अनुतोषों की मांग का प्रकरण लंबित है तो उनके द्वारा पुनः उसी प्रकृति का नवीन प्रकरण पूर्ववर्ती प्रकरण के लंबित होने के दौरान किया जाना निषिद्ध है एवं पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को सुना जाना भी न्यायोचित नहीं माना गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्ज खर्चों के साथ निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में न्यायालय के समक्ष एक मिथ्या धारणा बनाई जा रही है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 72 एवं 72/5 में किसी प्रकार का आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि सत्य तो यह है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मानचित्र का अवलोकन करने मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 72 व 72/5 और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच अन्य खातेदारों की भूमियां क्रमशः ख.नं. 73/1/1 व ख.नं. 71 स्थित है जो कि प्रार्थी को राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे जुड़ने नहीं देती है अर्थात् राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्ति के पूर्व भी सड़क से प्रार्थी के खसरा में जाने हेतु किसी प्रकार का सीधा रास्ता उपलब्ध नहीं था इसलिए भूमि अवाप्ति के फलस्वरूप किसी भी प्रकार से प्रार्थी के आवागमन में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। बहस में आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयों के सिद्धान्त से प्रतिपादित किया है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के द्वारा अवाप्त की गई भूमि को किसी भी कारण से पुनः अवाप्ति से मुक्त नहीं किया जा सकता है तथा उक्त अवाप्त भूमि केवल अवाप्ति के लाभार्थी के अधिकार में ही रहेगी जो कि प्रस्तुत प्रकरण में केन्द्र सरकार है अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया वैकल्पिक अनुतोष किसी भी प्रकार से विधि की दृष्टि में प्रदान किए जाने योग्य नहीं है।



फतेवर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

बहस में यह भी कहा कि प्रार्थीपक्ष के प्रार्थना पत्र में कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(जी) (7) के प्रावधानों की भी पूर्णरूप से अवहेलना की गई है जो असत्य व मिथ्या है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में मात्र सरसरी तौर में एक मिथ्या तथ्य अंकित किए है कि अवाप्ति के उपरान्त उसकी शेष रही भूमि निरर्थक बच गई व ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से अंकित किया है किस प्रकार से अवाप्ति प्रक्रिया अमल में लाये जाने से प्रार्थी की भूमि उपयोग व उपभोग नहीं रही है अतः प्रार्थना पत्र मात्र मनगढन्त व कपोलकल्पित तथ्यों को बूनकर स्वयं को संतोष लाभ पहुंचाने की बदनियति से प्रस्तुत किया गया है। बहस के अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित मुआवजा अवॉर्ड किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रकट करने के लिए तथ्यात्मक एवं विधिक आधार प्रकट करने में असफल रहने एवं मात्र मिथ्या, अर्नगल तथ्यों का समावेश किया गया है जिसका कोई भी विधिक आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थन नहीं मिला है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का भी अध्ययन किया। अधिनियम की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार— The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;
- (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

प्रार्थीया ने आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र में कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति किया के उपरान्त शेष बची भूमि रकबा 14 बिस्वा की बाजारु कीमत का मुआवजा तय तथा मुआवजा अवॉर्ड दिनांक 12.03.2019 में बढ़ोतरी किए जाने वाली रकम पर



[Handwritten Signature]
 जिला एवं जिला .. 11६८
 जोधपुर

प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 से तावसूली 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाने की मांग की है। प्रथमतः उभयपक्षकारान की स्वीकारोक्ति भी है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष भी पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक एकलपीठ सिविल रिट याचिका सं० 7879/2019 सुशीला कांकरिया व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। द्वितीयतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत किसी खातेदार की भूमि में से आंशिक भूमि अवाप्त की जाती है तथा शेष भूमि का मुआवजा भी तय कराने का विधिक प्रावधान नहीं है तथा अवाप्त भूमि का कब्जा सुपुर्द करने एवं उसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में होने के पश्चात् प्रार्थीया की मांग के अनुसार पुनः अवाप्त भूमि बावत् उक्त अधिनियम, 1956 के तहत नियुक्त आर्बीट्रेटर के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

यह पंचाट आज दिनांक 05.07.2023 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

